गौलना

प्रारूप–23

परियोजना का नाम – जनपद अल्मोड़ा में देघाट चौरासी मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....गौलना....
तहसील ....स्याल्दे.... जिला ....अल्मोड़ा....

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ....अल्मोड़ा.... के अन्तर्गत ....देघाट मोटर मार्ग.... परियोजना के निर्माण हेतु (.... – ....हे0 आरक्षित वन भूमि .... – ....हे0 सिविल सोयम भूमि 1.110 हे0 वन पंचायत भूमि 3.313 हे0) अर्थात कुल 4.518 हे0 वन भूमि का ....[illegible].... विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....गौलना.... द्वारा दिनांक 10-1-015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....गौलना.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10-1-015 ....प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
म.प्र.... गौलना ....
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत गौलना
ग्राम प्रधान
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान /अध्यक्ष
मुहर सहित

गौलना

प्रारूप –25.1

दिनांक 10-1-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ....गौलना....................

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	त्रिलोक सिंह	त्रिलोक सिंह
2-	देवीयानन्द मिश्रा	देवीयानन्द
3-	हरी दत्त	HariDutt
4-	दरवान सिंह	दरवान सिंह
5-	भगवत सिंह	भगवत सिंह
6-	नवीन चन्द्र	Naveen chandra
7-	भैरव दत्त	भैरव दत्त

ग्राम पंचायत गौलना
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान / सरपंच
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्वालबीना

प्रारुप–23

परियोजना का नाम – (जनपद अल्मोड़ा) के देघाट चौरासी मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ग्वालबीना

तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— है० आरक्षित वन भूमि — है० सिविल सोयम भूमि 1.110 है० वन पंचायत भूमि 3.395 है०) अर्थात कुल [illegible] 4.505 है० वन भूमि का लो.वि. विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्वालबीना द्वारा दिनांक 10-1-015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ग्वालबीना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

Kamb 5/7/016
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ग्वालबीना
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

खण्ड विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्वालबिना प्रारूप –23.1

दिनांक 10-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ग्वालबीना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	दलीप सिंह पुत्र मोहन सिंह	दलीप सिंह
2-	डुंगर राम पुत्र रतन राम	डुंगर राम
3-	ख्याली राम पुत्र डबर राम	Khyali Ram
4-	गोपाल सिंह पुत्र मोहन सिंह	गोपालसिंह
5-	हरीश राम पुत्र दीवानी राम	Hkram
6-	भवानी राम पुत्र उदी राम	भवानीराम
7-	जीत सिंह पुत्र हयात सिंह	जीतसिंह
8-	तेग सिंह पुत्र केशर सिंह	तेग सिंह

[signature] 5/7/016
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत ग्वालबीना
वि० ख० [illegible]

कफलटाना

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में देघाट जौरासी मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कफलटाना
तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (............ हे0 आरक्षित वन भूमि ...0... हे0 सिविल सोयम भूमि 1.110 हे0 वन पंचायत भूमि 3.395 हे0) अर्थात कुल 4.515 हे0 वन भूमि का लो.नि. विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हस्तान्तरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कफलटाना द्वारा दिनांक 10-1-015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कफलटाना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

वन पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत सचिव
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

कामखाना

प्रारूप –23.1

दिनांक 10-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत कामखाना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	गोपालसिंह पुत्र रामसिंह	गोपालसिंह
	उम्मेदसिंह पु० हरिसिंह	उम्मेदसिंह
	किशनगिरी पु० मोतगिरी	किशनगिरी
	बचेसिंह पु० किशनसिंह	बचेसिंह
	जमनसिंह पु० बचनसिंह	जमनसिंह
	उमरावसिंह पु० राजेन्द्रसिंह	उमरावसिंह

ग्राम प्रधान / सरपंच

पपड़िया

प्रारूप–23

परियोजना का नाम – जनपद अल्मोड़ा में देघाट चौंचाली मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मौलना / पपड़िया
तहसील स्याल्दे .... जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा ....के अन्तर्गत देघाट चौंचाली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (............ है0 आरक्षित वन भूमि ....x.... है0 सिविल सोयम भूमि 1.180 है0 वन पंचायत भूमि 3.345 है0) अर्थात कुल 4.525 है0 वन भूमि का लो० नि० वि० ....विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मौलना ....द्वारा दिनांक 10-1-015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पपड़िया .... ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० को ....प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र... मौलना
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत मौलना
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान /सरपंच
मुहर सहित

पथोरिया।

प्रारूप –23.1

दिनांक 10-1-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत गोलना / पथोरिया

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दुर्गादत्त	दुर्गादत्त
	रघुवर सिंह	रघुवर सिंह
	कैलाश चन्द्र	कैलाश चन्द्र
	श्री वल्लभ	श्री वल्लभ
	वासुपानन्द	वासुपानन्द
	कृपालदत्त	कृपालदत्त
	नवीन चन्द्र	नवीन चन्द्र

ग्राम पंचायत गोलना
ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान / सरपंच
जि० अल्मोड़ा (उत्त०)

चर्चा चौना.

प्रारूप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में देघाट जौरासी मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सनड़भीड़ा / चर्चा चौना
तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— हे0 आरक्षित वन भूमि — हे0 सिविल सोयम भूमि 1.110 हे0 वन पंचायत भूमि 3.395 हे0) अर्थात कुल 4.505 हे0 वन भूमि का लो० नि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सनड़भीड़ा द्वारा दिनांक 10-1-05 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सचिव
कान्ती देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सनड़भीड़ा
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

—चौना

प्रारूप –23.1

दिनांक 11-1-015 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ......सनडमोड़ा....../चौना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	विरेन्द्रसिंह	विरेन्द्रसिंह
2	आनन्दसिंह	आनन्दसिंह
3	भीमसिंह	भीमसिंह
4	लक्ष्मसिंह	लक्ष्मसिंह
5	कुंवर राम	कुंवरराम
6	मदनराम	मदनराम
7	कुशाल राम	कुशलराम

ग्राम प्रधान / सरपंच
कान्ती देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सनडमोड़ा
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

धमी चौना

प्रारूप–23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सनड़मौड़ा
तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (............ है0 आरक्षित वन भूमि x है0 सिविल सोयम भूमि 1.110 है0 वन पंचायत भूमि 3.395 है0) अर्थात कुल 4.505 है0 वन भूमि का लो० नि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सनड़मौड़ा द्वारा दिनांक 18-1-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धमीन्चौना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है ।

[signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत..............
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

[signature] देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सनड़मौड़ा
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

धर्मा चौगै

प्रारूप –25.1

दिनांक 10-1-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत सनगाबाड़ी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगत सिंह अधिकारी	[illegible]
2	राजे सिंह अधिकारी	प्रेमसिंह
3	पूरनसिंह	पूरन सिंह
4	दरबान सिंह	दरबानसिंह
5	गोविन्द राम	गोबिन्द राम
6	रामसिंह	रामसिंह
7	सुदानसिंह	सुदानसिंह

ग्राम प्रधान/सरपंच
कान्ती देवी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सनगाबाड़ी
नैन हाट स्याल्दे (अल्मोड़ा)

दुवसील

प्रारूप–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के देघाट चौरासी मोटर मार्ग का निर्माण,

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उपराड़ी / दुवासील
तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपराड़ी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (......X...... है० आरक्षित वन भूमि [illegible] है० सिविल सोयम भूमि [illegible] 1·110 है० वन पंचायत भूमि [illegible] 3·395 है०) अर्थात कुल 4·505 है० वन भूमि का लो० नि० विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उपराड़ी द्वारा दिनांक 10-1-015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दुवासील ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत ...
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

सरपंच
वन पंचायत प्रमुख /सरपंच
पट्टी मल्ला चौकोट
पो० देघाट (अल्मोड़ा)

दुवसील

प्रारूप –23.1

दिनांक 10-1-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत उप्राई / दुवसील

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ट की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चन्दनसिंह	चन्दन सिंह
2	खुशाल सिंह	खुशाल सिंह
3	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
4	दिनेश चन्द्र	दिनेश चन्द्र
5	नन्दनसिंह	नन्दनसिंह
6	सचीराम	सचीराम
7	अनोप सिंह	अनोपसिंह

ग्राम प्रधान / सदस्य

सौगड़ा

प्रारूप—23

परियोजना का नाम – जनपद अल्मोड़ा के देवार गौरसानी मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ग्वालबीना / सौगड़

तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (क) आरक्षित वन भूमि .... (ख) सिविल सोयम भूमि .... (ग) वन पंचायत भूमि .... हे0 अर्थात कुल .... हे0 वन भूमि का लो.नि. विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ग्वालबीना द्वारा दिनांक 10-1-015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौगड़ा ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम प्रधान 5/1/01
ग्राम पंचायत ग्वालबीना
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सचिव
ग्राम सभा

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

सौगड़ा

दिनांक 10-1-015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत ग्वालबीना / सौगड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजेन्द्र सिंह पुत्र कुंवर सिंह	राजेन्द्र सिंह
2-	ध्यान सिंह पुत्र उमराव सिंह	ध्यान सिंह
3-	मदन सिंह पुत्र जमन सिंह	मदन सिंह
4-	गिरीश चन्द्र पुत्र मुरलीधर	गिरीश चन्द्र
5-	मोहन चन्द्र पुत्र हरी दत्त	मोहन चन्द्र
6-	खिल्पा देवी पत्नी नन्दन सिंह	नि० खिल्पा देवी
7-	कुन्दन सिंह पुत्र ध्यान सिंह	कुन्दन सिंह
8-	आनन्द सिंह पुत्र मोहन सिंह	[illegible]

ग्राम प्रधान 5/7/016
ग्राम पंचायत ग्वालबीना
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा)

कोटिया टीना

प्रारुप–23

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में देवराड़ जौरासी मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम,2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण –पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ~~[illegible]~~ टिटरी कोटिया टीना
तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (/ हे0 आरक्षित वन भूमि — हे0 सिविल सोयम भूमि 1.110 हे0 वन पंचायत भूमि 3.395 हे0) अर्थात कुल 4.505 हे0 वन भूमि का लो. नि. विभाग /संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत टिटरी द्वारा दिनांक 10-1-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटिया टीना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम [illegible] विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत..........
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत टिटरी
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)
ग्राम प्रधान (नाम
मुहर सहित

सिरटी

<u>प्रारूप –23.1</u>

दिनांक 10-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत (सिरटी) ......द्वाराहाट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
2	कुशाल सिंह	कुशाल सिंह
3	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
4	नन्दन सिंह	नन्दन सिंह (नन्दन सिंह)
5	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
6	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
7	जगदीश पाल सिंह	जगदीश पाल सिंह

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सिरटी
वि० ख० स्याल्दे (अल्मोड़ा) ग्राम प्रधान /सरपंच

1.6 D

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद – कमोली में देवाल – चौरासी मोटर मार्ग

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवाल – चौरासी मोटर मार्ग (–0– हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.110 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.395 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.505 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 19-1-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री एन० एस० नबियाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री एन०एस० नबियाल उपजिलाधिकारी – थराली – अध्यक्ष
2– श्री बी० के० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी – थराली – सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी – थराली – सदस्य/सचिव
4– श्री मती मन्जू देवी – बी0डी0सी0 क्षेत्र – कफलटाना – सदस्य

मन्जू देवी
श्रीमती मंजू देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्या, कफलटाना
विकास खण्ड थराली (चमोली)

उपजिलाधिकारी, थराली (चमोली)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी थराली (चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवाल – चौरासी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.505 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, थराली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

1.6 E

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत देघाट जौरासी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु .... हे0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
तहसील– स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

1.8F

प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.3

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में देघाट–जौरासी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ.सी. दिनांक 05.02.2013 के जारी आदेश के क्रम में आवेदित भूमि परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व सिविल एवं कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
नोडल अधिकारी, अल्मोड़ा

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा,

Ameen Pramar Patra/Arvind

1·6 g

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date......16:01:15............at time...6:00 PM........at Almora, in which application claiming rights of .... area measuring 4.505 hect. for the Construction of Deghat - Jaurasi motor Road......... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to conside the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

1·6 H

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 4·505 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला अधिकारी
Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)

1·61

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Rudraprayag

No :....................................... **Dated:...............**

TO WHOMSOEVENT IT MAY CONCEREN

In Compliance of the Ministry of Enviroment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers)Rocognitation of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..1.505.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand , (Name of user agency) for Construction..of Deghat - Jeorasi motor Road..

(Purpose for diversion of forest land) in...Almora..district falls within jurisdiction of...Sunbhira...village(s) in..Syalde..Tehsils.

It is further Certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire.1.505....Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.

(b) The diversion of forest land for facilties managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent ot it.

(c) The proposal dose not involve recognized of primitive Trible Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

जिला अधिकारी
Signature
(Full name of the official seal of the District Collector)